## राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

अधिसूचना क्रमांक /2017 -राज्य कर

रायपुर, दिनांक : 13-10-2017

क्रमांक / सीजीजीएसटी / 01 / 2017 ( 09 ) — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उप—िनयम (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसरण में, आयुक्त राज्य कर, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, जो उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप—धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए माह जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 के दौरान पात्र हो गए हैं, प्ररूप जीएसटी आईटीसी—01 में घोषणा प्रस्तुत करने की समय—सीमा को 31 अक्टूबर, 2017 तक विस्तारित करते हैं।

(संगीता पी.) आयुक्त, राज्य कर छत्तीसगढ़, रायपुर

## Commissioner, State Tax Chhattisgarh, Raipur

Notification No. /2017 – State Tax

Raipur, Dated: 13<sup>th</sup> October, 2017

No./CGGST/01/2017 ( 09 ) - In pursuance of section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, hereby extends the time limit for making a declaration, in **FORM GST ITC-01**, by the registered persons, who have become eligible during the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017, to the effect that they are eligible to avail the input tax credit under sub-section (1) of section 18 of the said Act, till the 31<sup>st</sup> day of October, 2017.

(Sangeetha P.) Commissioner, State Tax Chhattisgarh, Raipur